बिन्दु क्रमांक 01

आवेदक विभाग का मांग पत्र

(2)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/CG/REHAB/42779/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : 255.300 Hac.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Rehabilitation

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 1330

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 255.3

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 1

A-2. Details of User Agency

(i). Name : DEPUTY DIRECTOR ACHANAKMAR TIGER RESERVE

(ii). Address1 : Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve, Lormi, District-Mungeli (C.G)

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Mungeli

(vi). Pin : 495115

(vii). Landmark : Tulsaghat Nursery

(viii). Email address : ddatr_bsp@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 7753-253922

(x). Fax No. : 7753-

(xi). Mobile No. : 7000178782

(xii). Website (if any) : www.tigersofachanakmar.org

(xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Vijaya

(ii). Middle Name: V

(iii). Last Name: Kurrey

(iv). Gender: Female

(v). Designation: DDATR

(vi). Address 1: Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve, Lormi, District-Mungeli

(vii). Address 2: Chhattisgarh

(viii). State: Chhattisgarh

(ix). District: Bilaspur

(x). Tehsil: Lormi

(xi). Pin: 495115

(xii). Landmark: Tulsaghat Nursery

(xiii). Email Address: ddatr_bsp@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 7753-253922

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9424202322

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Mungeli	255.3	0

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Mungeli	255.3	0

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Bharatpur	128.8	0
2	Sawatpur	126.5	0

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Village Relocation form the Core Area of ATR	255.3	0

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Mungeli

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 255.3

(ii). : Non Linear

(a). No. of patches : Four

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of Patches
1.	119.389	View File
2.	9.411	View File
3.	73.253	View File
4.	53.247	View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted

(4)

prepared by using GPS or Total Station:

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes
(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 1095
(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 160000

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No
(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No
(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Central Govt. Project

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
15		

Print page

Close(X)

Close(X)

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

(6)

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in

Sent: Tue, 28 Jan 2020 16:33:33 GMT+0530

To: You

Cc: monitoring-fc@nic.in, monitoring-fc@nic.in

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Chhattisgarh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No.	: FP/CG/REHAB/42779/2019
2. Proposal Name	: Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division.
3. Category of the Proposal	: Rehabilitation
4. Date of Submission	: 07/11/2019
5. Name of the Applicant with Contact Details	
Name	: Manoj
Mobile No.	: 7000178782
State	: Chhattisgarh
District	: Bilaspur
Pincode	: 495115
6. Area Applied (ha.)	: 255.3

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Chhattisgarh on 07/11/2019.

1. Proposal No.	: FP/CG/REHAB/42779/2019
2. Proposal Name	: Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division.
3. Category of the Proposal	: Rehabilitation
4. Date of Submission	: 07/11/2019
5. Name of the User Agency with Contact Details	
Name	: Manoj
Mobile No.	: 7000178782
State	: Chhattisgarh
District	: Bilaspur
Pincode	: 495115
6. Area Applied (ha.)	: 255.3

Received

Divisional Forest Officer
(S.) Division Mungeli (C.G.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ, अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115–818/193 रायपुर, दिनांक 21/01/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
मुगेली वन मंडल मुगेली
छत्तीसगढ़

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division.., area – 255.3 ha. – regarding**

संदर्भ: – आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 08.12.2019 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 05/02/2020

–00–

विषयान्तर्गत DEPUTY DIRECTOR ACHANAKMAR TIGER RESERVE द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत **"Relocation of villages from Core Area of ATR to Mungeli Forest Division"** हेतु कुल वन क्षेत्र–255.3 हे. मुंगेली वनमंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रूपये 6000 + 87,000 = 93,000/– के बैंक ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी कार्यालय में करें। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/REHAB/42779/2019 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र. क्र./भू–प्रबंध/ विविध/एल.एम–115–818/194 रायपुर, दिनांक 27/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़** – को उनके पत्र कमांक प्रबंध/56/2019/5192 दिनांक 10.10.2019 के अनुकम में।

– **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

– **Director**, Achanakmar Tiger Reserve, Bilaspur, Chhattisgarh

– **वन मंडलाधिकारी** (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन,अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।

– **Deputy Director**, Achanakmar Tiger Reserve, Lormi, District-Mungeli (C.G) – आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें। दिनांक 15.11.2019 को इस कार्यालय से ली गई आपत्तियों के उत्तर में आपने जो दस्तावेज नक्शा तैयार किया है। उसका एक सेट प्रिंट आऊट पथक से तैयार कर रखें जब प्रस्ताव को प्रथम चरण की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जावेगा तब इसकी आवश्यकता होगी।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key WORCUS
Sr. No. 98080

24042020

DFO MUNGELI **

ON DEMAND PAY

Six Thousand Only

रुपये RUPEES

अदा करें ₹ 6000.00

Key WORCUS Sr. No. 98080 AMOUNT BELOW 6001(6/4)

Name of Applicant CHHATISHGARH STATE GOVT GEN AC

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH MUNGELI
कोड क्र. / CODE No. 01144

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

RUBI KUMARI
SS No. K 13808

⑈601809⑈ 000002000⑆ 000503⑈ 16

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key WERGAY
Sr. No. 50331

24042020

DFO MUNGELI **

ON DEMAND PAY

Eighty Seven Thousand Only

रुपये RUPEES

अदा करें ₹ 87000.00

Key WERGAY Sr. No. 50331 AMOUNT BELOW 87001(6/5)

Name of Applicant CHHATISHGARH STATE GOVT GEN AC

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH MUNGELI
कोड क्र. / CODE No. 01144

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

RUBI KUMARI
SS No. K 13808

⑈601810⑈ 000002000⑆ 000503⑈ 16

11

DDO Code 2110001

H.&M.(C.P.& Berar.Bill

Subsidiary Rule 18 & 29 Under Treasury Rule (10)

Challan of Money paid is to the STATE BANK OF INDIA MUNGELI Treasury

By Whom Brought	On What Account	Under Rs.(In rupees)	Amount Rs.	Amount P.
DFO Mungeli Division	अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु कुल क्षेत्र 255.300 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रूपये 6,000 + 87,000 = 93,000/- शुल्क जमा करने पर बैंक खजाना दाखिल किया गया। 1. डी.डी. क्र. 601809 दिनांक 24.04.2020 रू. 6000/– 2. डी.डी. क्र. 601810 दिनांक 24.04.2020 रू. 87000/– **योग राशि :– रू. 93000/– (रू. तिरानबे हजार)** मात्र को एस.बी.आई. मुंगेली में जमा किया गया	Ninty Three Thousand One. Only	93000	00
Head of Revenue Major Head	**मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा राशियां–106–व्यक्तिगत जमा राशि**	Total	93000	00
		Detail		
DDO Code	2110001			
Detailed Head	**Divisional Forest Officer Mungeli Division**	Notes	Demand Draft	
		Cash		
		TOTAL		

Certified that shown above has been entered in the Department register of the Head of revenue deposit

D.F.O.
वन मण्डलाधिकारी
Mungeli Dn Mungeli (C.G.)
मुंगेली वन मण्डल मुंगेली (छ.ग.)

Dated- - -2020 Department Officer

Signature of Tenderer

FOR USE TREASURY		
Examined	Recived	Entered
	Rs. (In Figures)........................	
	Rs. (In Words)........................	
	....	

13 MAY 2020

Intitial of accountant Signature of Treasure Signature of Accountant

06

Scanned with CamScanner

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण फाउण्डेशन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F. No. 3-1/2003-PT (Relocation) Feb 2008 में विस्थापन हेतु जारी दिशा निर्देश अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को मानव विहीन करने एवं वन्यप्राणियों हेतु घास मैदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ग्रामों का व्यवस्थापन कर वन्यप्राणियों के रहवास में विकास किया जाना है। अचानकमार टाईगर रिजर्व वनस्पति एवं वन्यप्राणियों के नाम से ख्याति प्राप्त है, वन्यप्राणी गणना वर्ष 2014 में डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व में 10–12 बाघ का आंकलन किया गया है। मांसाहारी वन्यप्राणियों के आहार हेतु शाकाहारी वन्यप्राणियों के रहवास विकास के लिये कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के विस्थापन से उक्त क्षेत्र में जैविक दबाव समाप्त होगा एवं शाकाहारी वन्यप्राणियों हेतु घास का मैदान उपलब्ध होगा।

व्यवस्थापित होने वाले ग्राम के ग्रामवासियों का अधोसंरचना विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का भी विकास किया जायेगा। कोर क्षेत्र के ग्रामों के व्यवस्थापन से वन्यप्राणियों के रहवास विकास हेतु वनक्षेत्र रिक्त होगा। अतः वनग्रामों के व्यवस्थापन हेतु कोर क्षेत्र से बाहर 255.300 हे. वनक्षेत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें कृषि भूमि विकास (2 हे./परिवार), घर एवं बाड़ी (0.05 हे./परिवार), सामुदायिक विकास एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

व्यवस्थापन मुंगेली वनमंडल के आरक्षित वनक्षेत्र में किया जा रहा है। व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित वनभूमि को उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यपवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों के व्यवस्थापन कार्य हेतु कुल 255.300 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव, केन्द्र सरकार से स्वीकृति जारी करने बाबत् तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल एवं व्यपवर्तन के लिये आवश्यक भूमि की विस्तृत विवरण

क्र.	व्यवस्थापन हेतु चयनित वनग्राम	व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल का विवरण						
		जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परिसर	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हे.)	व्यवस्थापन हेतु आवश्यक क्षेत्र
1.	तिलईडबरा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	सांवतपुर	96 RF	234.718	126.500
2.	बिरारपानी	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	558 RF	150.139	119.389
3.	छिरहट्टा	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	भरतपुर	557 RF	145.262	9.411
						Total -	-	**255.300**

सहायक संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व (बफर)
लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

उप संचालक
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

[1] PROJECT DETAILS:-

(1) Short narrative of the proposal and project/ scheme for which the forest lands is required. :-

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्रामों क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा को बाहर व्यवस्थापित करने हेतु 255.300 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। कुल प्रस्तावित वनक्षेत्र 255.300 हे. मुंगेली वनमंडल, जिला मुंगेली के आरक्षित वन हैं।

अचानकमार टाईगर रिजर्व वनस्पतिक एवं वन्यप्राणियों के नाम से ख्याति प्राप्त है। यहां मिश्रित प्रजाति के वन के साथ – साथ बांस वन भी सघन क्षेत्र में पाये जाते है।

जैविक दबाव को कम करने, वन्यप्राणियों हेतु घास क्षेत्र एवं रहवास विकास करने, मांसाहारी एवं शाकाहारी वन्यप्राणियों के स्वच्छंद विचरण हेतु कोर क्षेत्र के वनग्रामों को मानव विहीन करने के दृष्टि से उपरोक्त तीन वनग्रामों को व्यवस्थापन किया जाना है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के व्यवस्थापन नीति अनुरूप, टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों को बाहर व्यवस्थापित करने के लिये ग्रामीणों से सहमति लिया गया है। जिसमें ग्रामवासियों ने राष्ट्रीय पुर्नव्यवस्थापन नीति 2007 में दिये प्रावधान अनुसार 22 परिवारों द्वारा विकल्प–1 का चयन एवं 111 परिवारों द्वारा विकल्य–2 का चयन किया गया है। विकल्प –2 के अनुसार व्यवस्थापित होने वाले परिवारों को 2.00 हे. कृषि भूमि प्रति परिवार, 0.05 हे. भूमि मकान एवं बाड़ी हेतु दिया जाना है, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाऐं जैसे स्कूल, हॉस्पीटल, सामुदायिक भवन, सिंचाई के साधन एवं पहुंचमार्ग आदि का विकास किया जाना है, जिससे वे समाज की मूल धारा में जुड़ सकें।

(2) Map showing the required forest area boundary of adjoining forest land/item wise break-up of the required forest area for different purpose (Authenticated by an officer not below the rank of a DCF.

निर्देशानुसार वांछित मानचित्र पेज क्रमांक 26, 27 एवं 29 में संलग्न है। वनक्षेत्र की आवश्यकता का मदवार विस्तृत विवरण पेज क्रमांक 13, 16 एवं 23 में दर्शित है।

(3) Total Cost of the project.

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार परियोजना की कुल लागत राशि रू. 1330.00 लाख है।

(4) Justification for locating the project in the forest area giving alternatives examined and reasons for their rejection:-

व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन विस्थापित होने वाले ग्रामों के निवासियों जिसमें से मुख्यतः बैगा आदिवासियों द्वारा किया गया है। व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र से बाहर है। वनक्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 के मध्य है। चयनित स्थल टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित है। व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल में अधोसंरचना विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संभावना बहुत अच्छी है।

राजस्व क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण, वनक्षेत्र का चयन किया गया है, जो कि व्यवस्थापित होने वाले ग्राम के निकटतम एवं अनुकूलित स्थल है। चयनित स्थल मुंगेली वनमंडल, जिला मुंगेली में ही स्थित है।

(5) Financial and Social benefits :-

यह परियोजना केन्द्र शासन की नीति अनुरूप है, जिसके तहत् टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को जैविक दबाव से मुक्त कर वन्यप्राणियों हेतु चारागाह का विकास तथा रहवास विकास करना है। अचानकमार टाईगर रिजर्व वनस्पतिकं एवं वन्यप्राणियों के नाम से ख्याति प्राप्त है। यहां साल एवं बांस का सघन वन है। वर्ष 2014 में डब्ल्यू.डब्ल्यू.आई. दिल्ली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व में 10–12 बाघ हैं, इनका संरक्षण एवं विकास जैविक दबाव मुक्त वनक्षेत्र रहने से ही संभव है।

ग्राम व्यवस्थापन के तहत् होने वाले विकास कार्यो में उन्ही ग्राम के ग्रामीणों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

(6) Employment generated. :-

ग्राम व्यवस्थापन से 133 परिवार के 1095 लोग लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित व्यवस्थापन परियोजना 1330.00 लाख रू. की है जिसमें 53.20 लाख रू. मजदूरी आधारित कार्य है। वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में 1,60,000 मानव दिवस कार्य कर रोजगार की प्राप्ति होगी।

[2] LOCATION OF THE SCHEME:-

(1) राज्य – छत्तीसगढ़

(2) जिला – मुंगेली

(3) वनमंडल – मुंगेली वनमंडल

(4) वनखंड – भरतपुर एवं सांवतपुर

(5) कक्ष क्रमांक – आर.एफ. 557, 558 एवं आर.एफ. 96

[3] ITEM WISE BREAK UP OF THE TOTAL LAND REQUIRED FOR THE PROJECT SCHEME ALONG WITH ITS EXISTING LAND USE.

क्र.	विवरण	-	भूमि की मात्रा
(a)	कृषि भूमि का आबंटन (2 हे./परिवार)	-	222.000 हे.
(b)	घर एवं बाड़ी निर्माण हेतु भूमि (0.05 हे./परिवार)		5.550 हे.
(c)	मूलभूत सुविधाओं के लिये जैसे स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि हेतु (कृषि भूमि का 10 प्रतिशत)	-	22.200 हे.
(d)	पहुंच मार्ग ग्राम के अंदर एवं बाहर तक (कृषि भूमि का 2.5 प्रतिशत)	-	5.550 हे.
	योग–	-	**255.300 हे.**

THE EXISTING LAND USE:-

व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मुंगेली वनमंडल के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 557, 558 एवं आर. एफ. 96 औसत घनत्व 0.4 का वनक्षेत्र है। यह मिश्रित प्रजाति का वनक्षेत्र है। चयनित स्थल वर्तमान में पास के ग्राम के जैविक दबाव के कारण पूरे क्षेत्र में कम घनत्व के वन है। क्षेत्र में भूमि समतल एवं उपजाऊ है। मृदा सेण्डी लोम है, जो विस्थापित परिवारों के लिये उपयोगी है।

[4] DETAILS OF FOREST LAND INVOLVED:-

(I)	Legal status of forest	-	आरक्षित वनक्षेत्र
(II)	Details of Flora & Funna existing in the area.	-	प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यप्राणी कम है, क्योंकि यह क्षेत्र राजस्व ग्राम से लगा हुआ है।
(III)	Density of vegetation	-	लगभग 0.4 घनत्व का मिश्रित वनक्षेत्र है।
(IV)	Species wise and diamter class wise abstract of trees	-	पेज नं 59 से 62 में संलग्न है।
(V)	Vulnerability of the forest area to erosion whether it forms the part of a seriously corded area or not.	-	इस क्षेत्र में भूमि क्षरण नही है।
(VI)	Whether it forms & part of national parks, Wildlife Sanctuary nature reserve, bio-sphere reserve etc.	-	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य का भाग नही है।
(VII)	Item wise break-up of the land required for the project.	-	देखें पेज क्रमांक 13 एवं 16 में दर्शित है।
(VIII)	Rare or endangered species of flora and fauna found in the area.	-	नही है।
(IX)	Whether it is a habitat for migrating Fauna or forms a breeding ground for them.	-	नही है।
(X)	Any other significance other area relevant to the propose	-	चयनित स्थल व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त है, चयनित क्षेत्र उपजाऊ एवं खेती योग्य है।

चयनित स्थल उपजाऊ एवं समतल है जिसमें सिंचाई के साधन का विकास आसानी से किया जा सकता है। यह राजस्व ग्राम भरतपुर एवं सांवतपुर से 0.5 से 2.00 कि.मी की दूरी पर स्थित है। चयनित स्थल पर ग्रामों को व्यवस्थापित करने से ग्रामीण समाज की मूल धारा से जुड़कर विकास करेगें।

18

[5] DETAILS OF DISPLACEMENT OF PEOPLE DUE TO THE PROJECT: -

(I)	Total number of families involved in displacement	-	133 परिवार
(II)	Number of ST/ SC families involved in displacement	-	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित परिवारों में 93 प्रतिशत आदिवासी हैं। व्यवस्थापित होने वाले परिवारों की सूची पेज नं 41 से 51 तक में संलग्न है।
(III)	Detailed Rehabilitation Plan	-	शासन के दिशा निर्देश अनुरूप ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन कर उनके समहति से व्यवस्थापन प्रस्ताव तैयार कर व्यवस्थापित किया जा रहा है। व्यवस्थापन प्रस्ताव पेज नं. 37 से 55 तक में दिया गया है।

[6] DETAILS OF COMPENSATORY AFFORESTATION SCHEME

ग्राम व्यवस्थापन से रिक्त हुए वनक्षेत्र में जैविक दबाव कम होने से उपयोगी घास के मैदान विकसित होगें, जिससे कीट से लेकर मूल्यवान मांसाहारी वन्यप्राणियों का विकास होगा, साथ ही 255.300 हे. वनक्षेत्र के बदले 255.300 हे. क्षेत्र खाली होगा। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

[7] DETAILS REGARDING TRANMISSION LINE:-

संबंधित नही है।

[8] DETAILS OF IRRIGATION/ HYDEL PROJECT:-

संबंधित नही है।

[9] DETAILS REGARDING ROAD/ RAILWAY LINES:-

संबंधित नही है।

[10] DETAILS REGARDING MINING PROPOSALES:-

संबंधित नही है।

[11] COST BENEFIT ANALYSIS:-

अचानकमार टाईगर रिजर्व वन्यप्राणियों हेतु आरक्षित क्षेत्र है। केन्द्र शासन के निर्देशानुसार इसके कोर क्षेत्र को मानव दबाव से मुक्त रखना है, जिसके लिये कोर क्षेत्र के ग्रामों का बाहर व्यवस्थापन किया जाना है। टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से विस्थापित हुए ग्राम से रिक्त हुए वनक्षेत्र में घास का मैदान विकसित होगा जो कि वन्यप्राणियों के रहवास में विकास होगा। ग्राम व्यवस्थापन से रिक्त होने वाले क्षेत्र 255.300 हे. के अतिरिक्त इसके परिधि का बहुत बड़ा क्षेत्र भी जैविक दबाव एवं मानव हस्तक्षेप से मुक्त होगा।

कोर क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सुदूर क्षेत्र में स्थित होने के कारण वहां के ग्रामीण समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उन्हें वहां से विस्थापित कर दूसरे स्थान पर पुर्नव्यवस्थापित करने से वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास करेंगे।

[12] WHETHER CLEARANCE FROM ENVOIRNMENT ANGLE IS REQUIRED: -

संबंधित नही है।

[13] WHETHER ANY WORK IN VOILATION OF THE ACT HAS BEEN CARRIDOUT:-

संबंधित नही है।

[14] ANY FURTHURE INFORMATION OF INTEREST TO THE COMMUNITY:-

अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 03 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु चयनित क्षेत्र भरतपुर एवं सांवतपुर ग्राम के समीप है। चयनित स्थल लोरमी जैसे शहरों से जुड़ी हुई है। कृषि कार्य हेतु स्थान उत्तम है जहां पर सिंचाई के साधन का विकास कर उन्नत कृषि किया जा सकता है।

वर्तमान में रह रहे स्थान में ग्रामीणों के पास आय के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली सुविधा एवं आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है जिससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते। चूंकि व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल राजस्व ग्राम के समीप स्थित है, कृषि हेतु उपयुक्त उपजाऊ जमीन है, सिंचाई के साधन का विकास होगा, बिजली, स्कूल, हॉस्पीटल, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण होगा, ग्रामीणों के बच्चे स्कूलो से शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं।

[15] DETAILS OF CERTIFICATE/ DOCUMENTS ATTACHED:-

पेज नं. ——————————— एवं —————————— में संलग्न है।

[16] Detailed opinion of the Chief Conservator of forest/ head of the forest department concerned covering the following aspects namely:-

(i) Out turn of timber, fuel wood, and other forest produce from the forestland involved.

ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल कक्ष क्रमांक आर.एफ. 557, 558, एवं आर.एफ. 96 में कुल 9862 वृक्ष हैं, जिससे 1647.30 घ.मी. ईमारती लकड़ी एवं 2528.900 घ.मी. जलाऊ लकड़ी= 4214 चट्टा एवं 62.76 नो. टन बांस प्राप्त होगी। जिसका कुल विदोहन व्यय राशि रू. 1,92,38,520.00 संभावित है, जो पृथक से आबंटित होगा।

(ii) Whether the district is self sufficient in timber and fuel wood - Yes

(iii) The effect of the proposal on: -

(a) Fuel Wood supply to rural population - प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में वनक्षेत्र मौजूद है, इसलिये ग्रामीणों को जलाऊ की आपूर्ति प्रभावित नही होगी।

(b) Economic and livelihood of tribals and backward communities. - व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल राजस्व ग्राम के समीप स्थित है, कृषि हेतु उपयुक्त उपजाऊ जमीन है,

(21)

सिंचाई के साधन का विकास होगा, बिजली, स्कूल, हॉस्पीटल, सामुदायिक भवन आदि अधोसंरचनाओं का निर्माण होगा, गामीणों के बच्चे स्कूलो से शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि इस उद्देश्य के पूर्ति के लिये अन्य वैकल्पिक स्थलों की संभावनाओं का पता लगाया गया और आवश्यक क्षेत्र के लिये यह मांग न्यूनतम मांग वनक्षेत्र है।

Assistant Director
Achanakmar Tiger Reserve (Buffer)
Lormi, Disst-Mungeli

Deputy Director
Achanakmar Tiger Reserve
Lormi, Distt-Mungeli (C.G.)

Field Director &
Chief Conservator of Forest
Achanakmar Tiger Reserve
Bilaspur (C.G.)

Principal Chief Conservator of Forest
Aranya Bhavan, New Raipur
Chhattisgarh